

## अध्याय V

### आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

#### 5.1 प्रस्तावना

आंतरिक नियंत्रण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो एक सत्त्व के प्रबंधन तथा कार्मिक से प्रभावित होती है तथा जोखिम का समाधान करने तथा यह उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाई गई कि सत्त्व के लक्ष्य के लिए, निम्नलिखित सामान्य उद्देश्यों<sup>48</sup> को प्राप्त किया जा रहा है:

- जवाबदेही का दायित्व निभाना ;
- लागू कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन ;
- हानि, दुरुपयोग तथा क्षति के प्रति संसाधनों की सुरक्षा।

स्व-निर्धारण के युग में, एक सुदृढ अनुपालन तंत्र की पहचान करने के लिए, सीबीईसी ने आंतरिक नियंत्रणों की प्रणालियों अर्थात् लेखापरीक्षा तथा रिटर्न संवीक्षा स्थापित की है। रिटर्न संवीक्षा दो-भाग वाली प्रणाली में परिकल्पित है - प्रारंभिक संवीक्षा जो सभी रिटर्न तथा डिवीजन/ रेंज कार्यालयों द्वारा की जाने वाले, जोखिम पैरा मीटरों के आधार पहचाने गए, चयनित रिटर्न की विस्तृत हस्तय रूप से की गई संवीक्षा को कवर करते हुए ऑनलाईन होगी। लेखापरीक्षा कमिश्नरी, चयनित निर्धारितियों की आंतरिक लेखापरीक्षा सेवाकर से संबंधित नियमों तथा विनियमों के उनके अननुपालन के प्रमाणनके लिए करती है। स्वैच्छिक अनुपालन पर बढ़ते विश्वास तथा नियमित रूप से कर जाल के अन्तर्गत लाई जा रही नई सेवाओं के साथ, उन व्यक्तियों की पहचान के लिए अनुदेश भी मौजूद है, जो कर चुकाने के लिए दायी थे परन्तु भुगतान टालते रहे, ताकि उन्हें कर जाल में लाया जा सके, जिसके फलस्वरूप कर आधार विस्तृत हो।

---

<sup>48</sup> इंटोसाई जीओवी 9100 - सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आंतरिक नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश

## 5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

रिकार्ड की जाँच के दौरान, हमें कर आधार बढ़ाना, रिटर्न संवीक्षा तथा निर्धारितियों की आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित अनुदेशों के लिए क्षेत्र संरचना के अनुपालन में कई कमियों का पता चला। इनसे पता चला कि विभाग को मौजूदा प्रणालियों तथा कार्यप्रणालियों की उपयुक्तता पर ध्यान देना चाहिए। हमने ये अभ्युक्तियों ₹ 118.66 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले 91 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ के द्वारा मंत्रालय को बताई। इनमें से, 63 मामले, जो विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए तथा की गई वसूली/ आरंभ की गई वसूली कार्रवाईयाँ, परिशिष्ट III में उल्लिखित हैं तथा 28 मामले चार मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णित हैं:

- कर आधार बढ़ाना
- रिटर्न की संवीक्षा
- निर्धारितियों की आंतरिक लेखापरीक्षा
- अन्य विषय

## 5.3 कर आधार का विस्तार

दिनांक 23 नवम्बर 2011 को बोर्ड के अनुदेशों के अनुसार कमिश्नरी में विशिष्ट सैल ने विभिन्न स्रोतों जैसे येलो पेज, समाचार पत्र विज्ञापन, आयकर विभाग, क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों तथा वेबसाइटों से अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं की सूचना, नगरपालिका तथा पीएसयूज सहित मुख्य निर्धारितियों तथा निजी क्षेत्र संगठनों से उनके द्वारा लाभ उठाए जा रही विभिन्न सेवाओं संबंध में सूचना प्राप्त की थी।

दो मामलों, जहाँ विभाग सेवाकर चूककर्ता को पहचानने में विफल रही, की व्याख्या नीचे दी गई है:

### 5.3.1 सलाहकारी सेवाओं पर ब्याज सहित सेवाकर का उद्ग्रहण न करना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 5ए के अनुसार, 'बीमा सहायक सेवा' का अर्थ है किसी बीमांकिक, किसी मध्यस्थ या बीमा मध्यस्थ या सामान्य बीमा कारबार के संबंध में एक बीमा एजेंट या जीवन बीमा कारवार द्वारा प्रदत्त

कोई सेवा तथा इसमें जोखिम निर्धारण, दावा निपटान, सर्वेक्षण तथा ऋण निर्धारण शामिल है। सेवाकर के देरी से किए गए भुगतान के लिए ब्याज भी देय है।

सर्कल-2, प्र. सीआईटी, हजारीबाग प्रभार में एक निर्धारिती मै. लाईफ लाईन एडवाइजरी एंड कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड (पैन सं. एएबीसीएल 6766ए) के आय कर रिकार्ड की लेखापरीक्षा (सितम्बर 2015) से पता चला कि निर्धारिती ने 2010-11 के दौरान ₹ 1.75 करोड़ अभिदाता शुल्क तथा सलाहकार प्राप्ति के रूप में प्राप्त किए थे, जिस पर निर्धारिती ₹ 31.05 लाख की राशि के ब्याज सहित सेवाकर को चुकाने के लिए दायी है, जिसका निर्धारिती द्वारा भुगतान नहीं किया गया था।

जब हमने यह दर्शाया (सितम्बर 2015), मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2016) कि निर्धारिती न तो विभाग के साथ पंजीकृत था, न ही दिए गए पते पर उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने विभाग द्वारा निर्धारिती का पता लगाने के लिए दिसम्बर 2015 (अर्थात् लेखापरीक्षा आपत्ति के बाद) से दिसम्बर 2016 तक सभी की गई कार्रवाई का विवरण दिया।

इस प्रकार, आयकर रिटर्न से विवरण संग्रहण द्वारा पूर्वोक्त बोर्ड के अनुदेशों पर समयोजित कार्रवाई को आरंभ नहीं करने के कारण ₹ 31.05 लाख की राशि के सरकारी राजस्व की हानि हुई।

### **5.3.2 सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा कर का गैर-पंजीकरण एवं गैर-भुगतान**

लेखापरीक्षा ने वैकॉन नगर निगम, अन्य निर्धारितियों और वेबसाइट से एकत्रित सूचना से अध्यर्पित पंजीकरणों की पुनः जाँच में देखा कि 15 निर्धारिती<sup>49</sup> जिन्होंने पंजीकरण का अध्यर्पण किया था, उनकी गतिविधियों को आठ वर्षों से अधिक समय से कर रहे थे। आगे यह देखा गया था कि सेवा कर पंजीकरण नौ अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा किया गया था।

जब हमने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेंज, वैकॉन की लेखापरीक्षा के दौरान इसे इंगित किया (जनवरी 2014), मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2016) कि

<sup>49</sup> दस सहकारी-बैंक, वैकॉन कुरिज़ (गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान), तावनकोर देवास्वोम बोर्ड, सैं. थॉमस पारिश हॉल एवं वाणिज्यिक केन्द्र, चेम्बु कल्याण और एनएसएस संघ।

सेरा आपत्ति की स्वीकृति में पाँच एससीएन जारी किए गए थे। मंत्रालय ने आगे कहा वैकोन रेंज ने 25 सहकारी बैंको/समितियों की कर देयता के बारे में जाँच का आयोजन किया और सेवा कर की माँग करते हुए 22 सहकारी बैंकों/समितियों को कुल 50 एससीएन की संख्या जारी की थी।

सहकारी समितियों को जारी एससीएनएस के विश्लेषण ने दर्शाया कि सेरा आपत्ति के बाद कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। यद्यपि यह स्वीकार किया गया था कि हमारे लेखापरीक्षा में इंगित करने से पूर्व ही कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, यह प्रमाणित है कि विभाग द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई अप्रभावी थी चूंकि भावी निर्धारितियों ने आवश्यक विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए अपना समय लिया।

गैर-रजिस्ट्रार और गैर-फाइलर का पता लगाने में फील्ड फॉर्मेशन द्वारा विलम्बित कार्रवाई या तो समयबाधित माँग या न पता लगाये जाने वाले निर्धारिती प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार, बोर्ड को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कर आधारित विस्तारित के संबंध में सके निर्देश इसके फील्ड फॉर्मेशनों द्वारा प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

#### 5.4 रिटर्नों की अपर्याप्त संवीक्षा

रेंज में एसटी-3 रिटर्न की जांच के दौरान, हमारे द्वारा 10 दृष्टांत देखे गए थे जहाँ कर के भुगतान की देयता या कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज जैसा कि तालिका 5.1 में विवरण दिया गया है रिटर्नों की अपर्याप्त संवीक्षा के कारण प्राधिकरणों के ध्यान में आने से बच गये। इन सभी मामलों में, कर/ब्याज की वसूली की कार्रवाई प्रारंभ की गई है और जैसा कि तालिका 5.1 में चर्चा की गई है मंत्रालय ने रिटर्नों की अपर्याप्त संवीक्षा को एसीईएस के साथ संबंधित समस्याएँ बताया है।

तालिका 5.1: रिटर्नों की अपर्याप्त समीक्षा पर अवलोकन

क्र. सं.	कमिश्नरी/ निर्धारिती का नाम	लेखापरीक्षा आपत्ति का सार	मंत्रालय द्वारा कमियों के लिए दिए गए कारण
1.	लुधियाना/मेसर्स क्रिएटिव नेटवर्क प्राइवेट लि.	ब्याज और देर से शुल्क का गैर-भुगतान	एसीईएस केवल देखने के लिए रिटर्न दिखा रहा था और समीक्षा के लिए नहीं।
2.	भुवनेश्वर-II/नौ सेवा प्रदाता	सेवा कर का कम भुगतान	एसीईएस/नियमावली प्रपत्र में रिटर्न उपलब्ध नहीं है
3.	मुम्बई एसटी-IV/मेसर्स अबन ऑफ शोर प्राइवेट लि.	ब्याज का भुगतान	पुनर्गठित कमिश्नरी के नये अधिग्रहित परिसरों पर एसीईएस नेटवर्क स्थापित करने में लगे समय के कारण।
4.	सिलिगुडी/मेसर्स सुब्बा माइक्रो सिस्टम लि.	ब्याज का गैर-भुगतान	एसईएस प्रणाली में तकनीकी कारणों के कारण निर्धारिती द्वारा ऑनलाइन फाइल की गई एसटी-3 रिटर्न संबंधित रेंज अधिकारी के डैशबोर्ड में प्रदर्शित नहीं हुई।
5.	मुम्बई एसटी-VII/मेसर्स ब्लू स्टार लि.	सेनवेट क्रेडिट के उपागमन लाभ का पता नहीं लगाना	रिटर्न को विस्तृत जाँच के लिए नहीं लिया गया चूंकि इकोई प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से लेखापरीक्षा की जाने वाली श्रेणी क थी।
6.	चंडीगढ़-I/ मेसर्स जेकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	ब्याज का कम भुगतान	अत्यधिक कार्यभार और एसीईएस में कनेक्टिविटी मुद्दों के कारण रिटर्नों की संवीक्षा नहीं हुई।
7.	मुम्बई एसटी-VII/ 108 रिटर्न	एसटी-3 रिटर्नों की विलंबित फाइलिंग पर देर से शुल्क की गैर-वसूली	संबंधित अवधि के दौरान एसईएस के गैर-कार्यान्वयन के कारण
8.	कोलकाता एसटी-I/मेसर्स निक्को कॉर्पोरेशन लि.	सेवा कर का कम भुगतान	श्रम शक्ति की बहुत अधिक कमी के कारण
9.	सिलिगुडी/मेसर्स सुब्बा माइक्रो सिस्टम लि.	सेवा कर का कम भुगतान	एसईएस प्रणाली में तकनीकी कारणों के कारण निर्धारिती द्वारा ऑनलाइन फाइल की गई एसटी-3 रिटर्न संबंधित रेंज अधिकारी के डैशबोर्ड में प्रदर्शित नहीं हुई।
10.	नागपुर-II/मेसर्स अवनीश लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लि.	ब्याज का गैर-भुगतान	एसीईएस द्वारा समीक्षा और सुधार के लिए रिटर्न चिन्हित नहीं थी।

एसीईएस का रॉल आउट दिसम्बर 2008 में शुरू हुआ और आठ वर्षों के बाद भी, फील्ड फॉर्मेशनों ने एसीईएस में तकनीकी समस्याएं उद्भूत की चूंकि वे कारण जिन्होंने रिटर्न संवीक्षा कार्य में रूकावट डाली और ये बाधाएं मंत्रालय द्वारा समर्थित थीं चूंकि उपरोक्त कारण लेखापरीक्षा के उत्तर में मंत्रालय द्वारा अग्रेषित किए गए थे।

दो मामलों को नीचे उदाहरणतः दिया गया है:

#### **5.4.1 ब्याज के गैर-भुगतान का पता न लगाना**

एसटी-3 की संवीक्षा और नागपुर ॥ कमिश्नरी के वैजरा रेंज में मेसर्स अवनीश लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के भुगतान विवरणों ने दर्शाया कि 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान सेवा कर के विलंबित भुगतान के लिए ₹ 35.71 लाख की राशि के ब्याज का भुगतान नहीं किया।

जब हमने इसे इंगित किया (सितम्बर 2015), मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2016) कि निर्धारिती ने जून 2012 से मार्च 2015 तक की अवधि के लिए ₹ 26.20 लाख की राशि जमा की थी। आगे, विभागीय चूक के लिए मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्राधिकार कार्यालय द्वारा आवधिक रिटर्नों की प्रारंभिक जाँच एसीईएस द्वारा “समीक्षा के लिए चिन्हित” के तौर पर चयनित रिटर्नों तक सीमित हैं और जुलाई 2012 से मार्च 2015 तक की अवधि के लिए मेसर्स अवनीश लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड की एसटी-3 रिटर्न एसीईएस द्वारा समीक्षा के लिए चिन्हित नहीं थे।

रिटर्नों की प्रारंभिक संवीक्षा में, सेवा कर में भुगतान में विलम्ब का पता लगाना यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवरोध है कि तब से ब्याज का भुगतान निर्धारिती द्वारा किया जायेगा। रिटर्नों की प्रारंभिक जाँच को एसीईएस द्वारा रिटर्नों की विस्तृत संवीक्षा के लिए श्रम शक्ति को मुक्त करने के लिए स्वचालित किया गया था। किंतु मंत्रालय का उपरोक्त उत्तर दर्शाता है कि सेवा कर के देर से भुगतान पर ब्याज के गैर-भुगतान को रिटर्न को ‘समीक्षा और सुधार’ के लिए चिन्हित करने के लिए एसीईएस द्वारा पता नहीं लगाया गया था। एसीईएस में इस कमी के लिए बिना कारणों की जाँच या व्याख्या के मंत्रालय उत्तर अग्रेषित किया। एसीईएस में गंभीर कमी को

मंत्रालय द्वारा जाँच करने की और उपयुक्त रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है।

#### 5.4.2 सेनवेट क्रेडिट के अधिक लाभ उठाने का पता न लगाना

कार्य संविदा सेवाओं की श्रेणी के तहत एक पंजीकृत सेवा प्रदाता, सेवा कर-VII मुम्बई कमिश्नरी में मेसर्स ब्लू स्टार लि. के एसटी-3 रिटर्न की संवीक्षा ने दर्शाया कि 2012-13 और 2013-14 की अवधि के दौरान सेस सहित निर्धारिती ने ₹ 17.53 लाख की अधिक राशि के साथ सेनवेट क्रेडिट शेष को आगे ले गया था। उपर्युक्त अवधिके लिए “निम्न मामले रिटर्न में देखे गये हैं” के तहत नवम्बर 2013 में फाइल की गई रिटर्न के ऊपर दर्शाए गए थे। तथापि, सितम्बर 2015 तक सेरा दल द्वारा इंगित किए जाने तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.53 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अधिक लाभ उठाया गया था जो कि अनियमित था।

जब हमने इसे इंगित किया (सितम्बर 2015), मंत्रालय ने सूचित किया (नवम्बर 2016) कि निर्धारिती ने ₹ 17.53 लाख सेनवेट क्रेडिट लौटा दिया है। आगे, विभागीय कमी के लिए, मंत्रालय ने कहा कि चूँकि इकाई श्रेणी ‘क’ के तहत थी और प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से लेखापरीक्षा की जानी थी, उसकी संवीक्षा नहीं की गई।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि रिटर्नों की प्रारंभिक संवीक्षा सभी रिटर्नों की जानी है और यह गलती एसीईएस द्वारा ‘समीक्षा और सुधार’ के लिए चिन्हित की गई थी।

#### 5.5 निर्धारितियों की आंतरिक लेखापरीक्षा में देखी गई कमियां

लेखापरीक्षा द्वारा अनुपालन सत्यापन निर्धारित नियमों और विनियमों के साथ अनुपालन के स्तर का पता लगाने के लिए जोखिम पैरामीटर निर्धारिती के रिकॉर्डों की संवीक्षा पर आधारित निर्धारिती इकाईयों के चयन सहित निर्धारित पद्धतियों के अनुसरण द्वारा निर्धारिती परिसरों पर लेखापरीक्षा के संचालन को आवश्यक बनाता है। प्रत्येक कमिश्नरी में, इसके आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग में एक सहायक/ उप कमिश्नर और लेखापरीक्षकों द्वारा चालित औ एक अपर/संयुक्त कमिश्नर की अगुवाई वाली एक लेखापरीक्षा सेल होती है।

लेखापरीक्षा सेल, की गई लेखापरीक्षा के नियोजन, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है। अधीक्षकों और निरीक्षकों वाले आंतरिक लेखापरीक्षा दलों (आईएपीज़) ने लेखापरीक्षा योजना के अनुसार और सेवा कर लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 में सीमांकित पद्धतियों के अनुसार, निर्धारिती परिसर पर लेखापरीक्षा करते हैं।

चयनित कमिशनरियों में, एक केन्द्रित लेखापरीक्षा के तौरपर की गई आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रभावीपन पर हमारे अवलोकन अध्याय III में रिपोर्ट किए गए हैं। कमिशनरियों की हमारी नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, निम्न दो श्रेणियों में से एक क) आईएपी द्वारा पहले से लेखापरीक्षित और ख) लेखापरीक्षा के लिए शेष किंतु आईएपी द्वारा शामिल नहीं, के तहत आने वाली निर्धारितियों के एक नमूने की लेखापरीक्षा द्वारा आईएपीज़ द्वारा उपक्रमित लेखापरीक्षाओं की गुणवत्ता के साथ-साथ निर्धारितियों के कवरेज की पर्याप्तता की जाँच का प्रयास हमने किया। हमने कर/ब्याज के गैर/कम भुगतान या निर्धारितियों द्वारा सेनवेट क्रेडिट के अनियमित लाभ उठाने के मामले देखे, जिनमें से 13 मामलों का वर्णन नीचे किया गया है।

#### **5.5.1 आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पहले से शामिल किए गए चयनित निर्धारितियों के अभिलेखों की जाँच**

आंतरिक लेखापरीक्षा के तहत पहले से शामिल चयनित निर्धारिती के रिकॉर्डों की हमारी जाँच के दौरान, हमें कुछ दृष्टांतों का पता चला, जहाँ कमिशनरी के आईएपीज़ को निर्धारितियों द्वारा गैर-अनुपालन के कुछ महत्वपूर्ण मामलों को इंगित करने के लिए हटाया गया था। ऐसे ग्यारह मामले नीचे दर्शाये गये हैं:

##### **5.5.1.1 क्रेडिट कार्ड सेवाओं के तहत सेवा कर का कम भुगतान**

वित्तीय अनिधनियम 1994 की धारा 65(105) (जेडजेडजेडडब्ल्यू) जैसा कि संशोधित हुआ में क्रेडिट कार्ड सेवाओं को परिभाषित किया गया है, जो कि 1 मई 2006 से कराधीन हो गई थी, जैसे कि कोई भी सेवा किसी भी व्यक्ति को प्रदत्त की गई या की जाने वाली, किसी थी अन्य व्यक्ति द्वारा, क्रेडिट के कार्ड डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड सेवा किसी भी ढंग से के संबंध में।



मेसर्स फेडरल बैंक लि. अलुवा कोचीन कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने क्रेडिट कार्ड संबंधित सेवाएँ प्रदान की। मेसर्स नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) घरेलु कार्ड संबंधी संव्यवहार के लिए एक नोडल एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2012-13 के लिए क्रेडिट कार्ड संबंधित संव्यवहार के संबंध में बैंक द्वारा प्राप्य राशि और सेवा कर ₹ 41.15 करोड़, ₹ 5.09 करोड़ क्रमानुसार था। निर्धारिती ने यद्यपि वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 27.02 करोड़ के केवल मूल्य पर सेवा कर का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.75 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

अक्टूबर 2013 तक की अवधि वाली आंतरिक लेखापरीक्षा नवम्बर 2013 में की गई थी और बाद में सेरा द्वारा पता लगाई गई कमी का पता नहीं चला।

जब हमने इसे इंगित (फरवरी 2014), किया, मंत्रालय ने उत्तर (नवम्बर 2016) दिया कि निर्धारिती द्वारा ₹ 0.64 करोड़ के ब्याज के साथ ₹ 1.89 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। आईएपी की असफलता के लिए, पत्रालय ने कहा कि आईएपी आवधिक रिटर्नो से गलती का पता नहीं लगा सका चूँकि पुनः निर्मित कर निर्धार्य मूल्य और कर रिटर्नो में दर्शाए नहीं गए थे।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि आंतरिक लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य वित्तीय रिकॉर्डों की तुलना में आवधिक रिटर्नो में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत विवरणों की सच्चाई का पता लगाना है और आईएपी उसे सुनिश्चित करने में असफल रहा।

#### 5.5.1.2 तकनीक के आयात के लिए किए गए भुगतान पर अनुसंधान एवं विकास सेस का गैर भुगतान

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) सेस अधिनियम, 1986 की धारा 3 तकनीक के आयात की ओर किए गए सभी भुगतानों पर अधिकतम 5 प्रतिशत (वर्तमान में 5 प्रतिशत) दरों पर उद्ग्रहित और एकत्रित सेस के एकत्रीकरण को संभव बनाता है। आगे, दिनांक 10 सितम्बर 2004 17/2004 एसटी अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 66 के तहत उद्ग्रहित एसटी बहुत अधिक भाग बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) सेवाओं के संबंधमें कराधीन सेवा को छूट दी थी चूँकि तकनीक के आयात की ओर प्रदत्त सेस की राशि के समतुल्य था।

हैदराबाद एसटी कमिश्नरी मेसर्स वोडाफोन साउथ लि. जो कि टेलिकम्यूनिकेशन सेवा प्रदान कर रही है ने 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान तकनीक का निर्यात किया था और ₹ 49.95 करोड़ की राशि व्यय की किंतु अनुसंधान एवं विकास सेस (आर एंड डी सेस) का भुगतान नहीं किया। अधिनियम आईबिड के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारिती को ₹ 2.50 करोड़ के आर एंड डी सेस का भुगतान करने की आवश्यकता है जिसे ब्याज के साथ निर्धारिती से वसूलने की आवश्यकता है।

हालाँकि 2012-13 और 2013-14 क्रमानुसारके लिए मई-जून 2014 और अप्रैल-मई 2015 में दो बार निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी किंतु आर एंड डी सेस के गैर-भुगतान को इंगित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सेस दल द्वारा इंगित किए जाने तक त्रुटि का पता नहीं लगाया गया।

जब हमने इसे इंगित किया (जुलाई 2015) मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति (नवम्बर 2016) को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि आर एंड डी सेस का एकीकरण वित्तीय अधिनियम 1994 के तहत शामिल नहीं है, इसलिए आंतरिक लेखापरीक्षा के दौरान अधिकारियों द्वारा कोई लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं की गई थी और विभाग द्वारा कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि अधिसूचना आईबिड के तहत सेवा कर के भुगतान से छूट निर्धारिती द्वारा प्रदत्त आर एंड डी सेस पर निर्भर करती है, आर एंड डी सेस के भुगतान की जाँच करना आईएपी का कर्तव्य था।

### 5.5.1.3 सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(3बी) की गैर-अनुपालना

1 अप्रैल 2011 से प्रभावी सेनवेट क्रेडिट नियमावली (सीसीआर), 2004 में डाले गए नियम 6 (3बी) के अनुसार, यद्यपि उन नियमों (1) (2) एवं (3) में निहित जमा, श्रणों या अग्रिमों के विस्तारण द्वारा सेवाएँ प्रदान करने में कार्यरत गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी सहित एक बैंकिंग कम्पनी और एक वित्तीय संस्थान, प्रत्येक वर्ष के लिए उस महीने में इनपुट एवं इनपुट सेवाओं पर लाभ उठाए गए 50 प्रतिशत सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेंगे।

मेसर्स यूएई एक्चेंज एवं वित्तीय सेवाएँ लि., कोचीन कमिश्नरी में एक गैर बैंकिंग वित्त कम्पनी ने इनपुट सेवाओं पर सेवा कर प्रदान करते हुए वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए ₹ 81.60 लाख और एक करोड़ क्रमानुसार के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया था। निर्धारिती, तथापि ने सेवाओं पर 50 प्रतिशत के क्रेडिट का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप 2011-12 से 2012-13 की अवधि के लिए सीसीआर 2004 के नियम 6(3बी) के तहत ₹ 90.92 लाख का गैर-भुगतान हुआ।

जुलाई 2013 तक की अवधि शामिल अगस्त 2013 में की गई आंतरिक लेखापरीक्षा ने इस कमी का पता नहीं लगाया।

जब हमने इसे इंगित किया (फरवरी 2014), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति (नवम्बर 2016) को स्वीकार किया और कहा कि विव. 12 से विव. 15 की अवधि के लिए ₹ 2.21 करोड़ की राशि के दो शो कॉज़ नोटिस जारी किए गए थे। आगे, आईएपी की असफलता के लिए, मंत्रालय ने कहा कि दल ने ₹ 2.32 करोड़ के राजस्व वाले अन्य गलतियों/चूकों का पता लगाया था किंतु सेरा दल द्वारा इंगित चूक का पता नहीं लगा सकी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि यह आपत्ति सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3बी) से संबंधित थी, विशेष तौरपर केवल इस सेक्टर की इकाईयों पर प्रयोज्य थी और इसलिए आईएपी को इस जाँच को इस इकाई की उनकी लेखापरीक्षा योजना में निहित करनी चाहिए थी।

#### 5.5.1.4 फ्लैटों के जमीन मालिक के भागों पर सेवा कर का गैर-भुगतान

एक नये रिहाइशी कॉम्प्लेक्स या उसके एक भाग के निर्माण के संबंध में सेवाओं पर वित्त अधिनियम 1994 की धाराएं 65(105) (जेडजेडजेडएच) और धारा 66बी (1 जुलाई 2012 से प्रभावी) के तहत सेवा कर के लिए देनदार है। करधान नियम, 2011 का नियम 3(क) अनुबंधित करता है कि सेवा के समापन की तिथि, यदि सेवा कर नियम, 1994 के तहत निर्धारित समय के भीतर सेवा के प्रावधान के लिए इनवॉयस के मामले में करधान के बिंदु को माना जायेगा। दिनांक 10 फरवरी 2012 सीबीईसी परिपत्र सं. 151/2/2012-एसटी के पैराग्राफ 2 स्पष्ट करता है कि भूमि मालिक को दिए जाने वाले

फ्लैटों के लिए संयुक्त विकास समझौते (जेडीएज़) में निहित निर्माण सेवा पर बिल्डर/डेवेलपर द्वारा सेवा कर का भुगतान किया जाना है। भूमि मालिकों की दी गई फ्लैटों के मूल्य अन्य सेवा प्राप्त कर्ताओं से डेवेलपर/बिल्डर द्वारा प्रभारित समान फ्लैटों के मूल्य के बराबर होंगे।

एसटी-11 कमिश्नरी में, मेसर्स आर्य गुहा प्राइवेट लि., बेंगलुरु, एक निर्धारिती रिहायिशी कॉम्प्लेक्स के निर्माण में कार्यरत था। भूमि मालिकों के साथ निर्धारिती द्वारा प्रविष्ट हुए (मार्च 2009 और अप्रैल) जेडीएज़ के अनुसार, 33 रिहायिशी इकाईयों का कब्जा जून 2013 से अप्रैल 2015 तक की जो कि है परिपत्र पद्धत आईबिड के जारी होने के बाद अवधि के दौरान भूमि मालिकों को सौंपा गया था। तथापि, निर्धारिती को इन फ्लैटों में निहित निर्माण सेवा पर सेवाकर का भुगतान करना था, जिसका भुगतान निर्धारिती द्वारा नहीं किया गया था।

उनकी लेखापरीक्षा के दौरान (जनवरी 2014) भूतपूर्व सेवा कर कमिश्नरी, बेंगलुरु के आईएपी द्वारा सेवा-कर के इस गैर भुगतान का पता नहीं लगाया गया था जिसमें आंशिक रूप से आपत्ति निहित होती है।

जब हमने इसे इंगित किया (जनवरी 215) मंत्रालय ने राजस्व चूक (अगस्त 2016) को स्वीकार किया और कहा कि ₹ 1.06 करोड़ की एक माँग जारी की गई थी और यह कि निर्धारिती ने ₹ 20 लाख की राशि का भूगतान (जुलाई 2015) किया। आईएपी की असफलता के लिए, मंत्रालय ने आगे कहा कि निर्धारिती ने आंतरिक लेखापरीक्षा के समय पर सभी विवरण नहीं दिए थे और विव14 के लिए जनवरी 2014 जो कि है लेखापरीक्षा के समय पर, तुलन-पत्र भी निर्धारित नहीं किए गए थे और तथापि आईएपी चूक का पता नहीं लगा सका।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि आईएपी ने निर्धारिती द्वारा इसकी रिपोर्ट में रिकॉर्ड के गैर-प्रस्तुती करण को जारी करना शामिल नहीं था।

### 5.5.1.5 आंशिक रिवर्स प्रभारी प्रणाली के तहत कार्य संविदा सेवा पर सेवा कर का गैर-भुगतान

दिनांक 20 जून 2012 अधिसूचना सं. 30/2012/एसटी के अनुसार, सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता को कार्य संविदा के निष्पादन में सेवा भाग में प्रदान की गई सेवाओं या प्रदान करने की सहमति के संबंध में प्रत्येक भुगतान सेवा कर के 50 प्रतिशत का भुगतान करना होता है।

2012-13 से 2013-14 की अवधि के दौरान कोचीन कमिश्नरी में मेसर्स हाई-बिल्ड कोटिंग्स प्राइवेट लि. कालामस्सेरी ने मेसर्स एसएलएन बालाजी कंस्ट्रक्शंस (एचएपीआर5350डीएसडी001) कांचीपुरम तमिलनाडु से कार्य संविदा सेवाएँ प्राप्त की। निर्धारिती ने कार्य संविदा सेवा और सेवा कर देयता के मूल्यों की ओर सेवा प्रदाता को ₹ 32.49 लाख होने पर ₹ 6.57 करोड़ का भुगतान किया। निर्धारिती ने तथापि आंशिक रिवर्स प्रभार प्रणाली के तहत सेवा प्राप्तकर्ता के तौर पर 50 प्रतिशत सेवा कर देयता की ओर ₹ 16.25 लाख का भुगतान नहीं किया। सेवा प्रदाता ने न तो सेवा कर की राशि को इनवॉयस में दिखाया, न ही निर्धारिती से सेवाकर एकत्रित किया। सेवा प्रदाता (मेसर्स एसएलएन बाजाजी कंस्ट्रक्शन) द्वारा सेवा कर का गैर-भुगतान भी इंगित किया गया था।

यद्यपि मार्च 2013 तक की अवधि की आंतरिक परीक्षा मई 2013 में की गई थी, मामला इंगित नहीं किया गया।

जब हमने इसे इंगित किया (मार्च 2014), मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि ब्याज सहित ₹ 21.19 लाख की राशि वसूली गई और शेष राशि की वसूली के लिए एससीएन जारी किया जा रहा है। मंत्रालय ने आगे कहा कि यह मामला आईएपी द्वारा उठाया जा रहा था जिसने मार्च 2014 के अंतिम सप्ताह में निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि मंत्रालय का उत्तर आईएपी की निष्फलता पर मौन था जिसने विव. 13 में निर्धारिती की लेखापरीक्षा की थी किंतु तब इस मामले को नहीं उठाया था।

### 5.5.1.6 कराधान नियमों के बिंदु का गैर-अनुपालन

कराधान नियमावली, 2011 के नियम 3, अन्य बातों के साथ-साथ यह कहता है कि, जहाँ सेवाकर नियमों, 1994 के नियम 4ए में विनिर्दिष्ट समयावधियों के तहत इनवॉयस जारी नहीं किया गया था, कराधान का बिंदु सेवा के प्रावधान के समापन की तिथि होगी। आगे वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75, कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कर का उसका कोई भाग निर्धारित अवधि के तहत केन्द्र सरकार के खाते में जमा कराने में असफल रहेगा, केन्द्र सरकार द्वारा उस समय के लिए निर्धारित ऐसी दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।

कोलकाता एसटी-1 कमिश्नरी में मेसर्स कोल इंडिया लि. (पहले कोलकाता एसटी कमिश्नरी के तहत) इसकी सहायक कम्पनियों को प्रबंधन सलाहकार सेवा और अचल सम्पत्ति को किराये पर देने में कार्यरत है। निर्धारिती ऐसी कम्पनियों को सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए 'एपेक्स प्रभार' के तौर पर ₹5 प्रति टन कोयला उत्पाद प्रभारित किया। आगे, निर्धारिती ने भूमि बिल्डिंग आदि विनिर्दिष्ट मासिक तौरपर भुगतेय किराये पर कोयला प्रबंधन भारतीय संस्थान को पट्टे पर दी। हमने देखा कि निर्धारिती ने तिमाही आधार पर ऐसी सेवाओं के लिए इनवॉयस जारी किये थे और सेवा कर देयता को तिमाही तौर पर मोचन किया। संवीक्षा ने तथापि दर्शाया कि प्रत्येक माह के अंत पर, कोयले के मासिक उत्पादन की मात्रा निर्धारिती के पास उपलब्ध थी। इस प्रकार, दोनों सेवाओं के लिए, सेवा के प्रावधान का समापन, प्रत्येक माह की अंतिम तिथि थी और मासिक के बजाये तिमाही तौर पर सेवा कर के भुगतान के कारण 2011-12 की अवधि के लिए ₹ 19.96 लाख के ब्याज का भुगतान करने के लिए निर्धारिती जिम्मेदार था। बाद की अवधि के लिए, विभाग को ब्याज राशि का पता लगाने का अनुरोध किया गया था।

2011-12 की अवधि सहित फरवरी 2013 में विभाग द्वारा निर्धारिती की लेखापरीक्षा की गई थी। तथापि, हमारे द्वारा इंगित किए जाने तक चूक का पता नहीं लगाया जा सका।

जब हमने इसे इंगित किया (जून 2013) मंत्रालय ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति (नवम्बर 2016) को स्वीकार नहीं किया कि कराधान नियमावली,

2011 के नियम 6 के तहत व्याख्या 1 कहती है कि सेवा प्रदाता को भुगतान करने के लिए सेवा प्राप्तकर्ता की आवश्यकता वाली प्रत्येक घटना के समापन की तिथि, सेवा के समापन की तिथि होगी। समझौता कहता है कि जैसी कि आपसी सहमति हो, भुगतान को नियमित अंतराल पर किया जायेगा और जैसी कि सहमति हो, इनवॉयस को तिमाही आधार पर प्रस्तुत किया जायेगा, मासिक आधार पर सेवा कर के भुगतान का प्रश्न उठा ही नहीं।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि सत्यापन के दौरान निर्धारिती से एकत्रित उत्पादन रिपोर्टों से, उक्त रिपोर्टों की तिथि से यह स्पष्ट होता है कि उत्पादन आँकड़े प्रत्येक माह के अंत पर उपलब्ध होते थे जिन्होंने प्रत्येक माह के अंत पर सेवा के प्रावधान का समापन स्थापित किया था। चूँकि प्रत्येक अनुवर्ती माह में 14 दिनों के तहत बिल प्रस्तुत नहीं किए गये थे, वह अवसर जिसमें निर्धारिती को सेवा कर जो कि है “कराधान का बिंदु” का भुगतान करने की आवश्यकता है, प्रत्येक माह के अंत पर ऐसी सेवा के प्रावधान के समापन की तिथि होगी।

#### 5.5.1.7 रिवर्स प्रभार प्रणाली के तहत जीटीए और श्रमशक्ति आपूर्ति पर सेवा कर का कम भुगतान

सेवा कर नियम, 1994 के नियम 2(1) (डी)(iv), अधिसूचना सं. 30/2012-एसटी दिनांक 20 जून 2012 के साथ पढा गया, अन्य बातों के साथ-साथ इस पर ध्यान देता है कि माल यातायात एजेंसी और श्रमशक्ति आपूर्ति एजेंसी द्वारा प्रदान की गई सेवा के संबंध करारोप्य सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से सेवाकर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है।

आगे, बोर्ड ने 08 फरवरी 2007 में पत्र सं. 137/27/2007 सी एक्स 04 में दिशानिर्देश जारी किये हैं; जिसने नियमित रूप से रिटर्नों की संवीक्षा को अनिवार्य बना दिया था। पूर्वोक्त नियमावली के पैरा 2.3 बी के अनुसार दोबारा, रिटर्नों की प्रारंभिक संवीक्षा एसीईएस द्वारा की जानी है किंतु उसके कार्यान्वयन तक, प्रारंभिक संवीक्षा को हस्त रूप से किया जाता था।

हल्दिया कमिश्नरी में मेसर्स हिन्दुस्तान यूनीलीवर लि. और बोलपुर कमिश्नरी में मेसर्स कार्तिक अलॉए लि. (यू-11) ने सेवाओं के प्राप्तकर्ता के तौरपर जीटीए,

श्रमशक्ति नियुक्ति/ आपूर्ति एजेंसी आदि श्रेणी के तहत उनकी सेवाकर देयता का मोचन किया। वित्तीय रिकॉर्ड की तुलना में एसटी-3 रिटर्न के सत्यापन ने दर्शाया कि निर्धारित पूर्ण रूप से उनकी कर देयताओं के भुगतान में असफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16.11<sup>50</sup> लाख के सेवा का कम भुगतान हुआ जो कि प्रयोज्य ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

मै. हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमि. की 2012-13 की अवधि को कवर करते हुए जून 2013 में विभाग द्वारा लेखापरीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त मै. कार्तिक एलॉयज लिमि. के संबंध में 2013-14 की अवधि हेतु एसटी-3 रिटर्न की प्रारंभिक संवीक्षा एसीइएस के साथ-साथ मैन्यूली विभाग द्वारा की गई। यद्यपि दोनों मामलों में चूक पकड़ी नहीं जा सकी जब तक कि सेरा लेखा परीक्षा द्वारा इन्हें इंगित नहीं किया गया था।

जब हमने इसे इंगित किया (नवम्बर 2013 और अगस्त 2014), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2016) और मै. हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमि. से ₹ 11.66 लाख की आपत्ति की गई राशि की वसूली की और ₹ 5.54 लाख की राशि हेतु मै. कार्तिक एलॉयज लिमि. को कारण बताओ नोटिस जारी करने की सूचना दी। मै. हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमि. के मामले में आईएपी की असफलता के लिए मंत्रालय ने कहा कि चूक को पकड़ा नहीं जा सका क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा के समय पर वित्तीय विवरण/तुलन पत्र तैयार नहीं थे। मै. कार्तिक एलॉयज लिमि. के मामले में, उन्होंने कहा कि रिटर्न की प्रारंभिक संवीक्षा केवल मैन्यूल रूप से आयुक्तालय द्वारा की गई थी क्योंकि उस समय एसीइएस उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेवा कर लेखा परीक्षा मैन्यूल 2011 के अनुलग्नक -VIII में रिवर्स प्रभार के अंतर्गत सेवा कर के भुगतान के लिए विशिष्ट चैक है और उक्त के लिए विवरण ट्रायल बैलेंस की भाँति अन्य वित्तीय विवरण से प्राप्त किये जा सकते थे।

---

<sup>50</sup> मेसर्स हिन्दुस्तान यूनीलीवर लि. के मामले में 2012-13 अवधि के लिए ₹ 9.29 लाख और मेसर्स कार्तिक एलॉय लि. के मामले में 2013-14 की अवधि के लिए ₹ 6.82 लाख



### 5.5.1.8 आंशिक रिवर्स प्रभार प्रणाली के अंतर्गत निर्माण कार्य संविदा सेवा पर सेवा कर का कम भुगतान

सेवा कर नियमावली, 2004 के नियम 2(1)(डी) के अनुसार निर्माण कार्य संविदा के कार्यान्वयन में सेवा भाग पर सेवा कर लगाया जाता है। दिनांक 20 जून 2012 अधिसूचना सं. 30/2012-एसटी में विनिर्दिष्ट है कि निर्माणकार्य संविदा सेवा के प्राप्तकर्ता और प्रदाता दोनों प्रत्येक देय सेवा कर के 50 प्रतिशत का भुगतान करेगा।

सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2006 के नियम 2ए (ii) में यह बताया गया है कि फिनिशिंग सर्विस के लिए शामिल निर्माण कार्य संविदा के कार्यान्वयन में जुड़े हुए सेवा भाग पर कर अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कुल प्रभारित राशि के 60 प्रतिशत पर सेवा कर अदा करेगा।

अलवर आयुक्तालय में मै. अग्रवाल मेटल वर्क्स प्राइवेट लिमि., भिवाड़ी, ने नवम्बर 2013 से जुलाई 2014 की अवधि के दौरान मै. सुशील कंसट्रक्शन, गुडगांव से कार्यालय भवन हेतु निर्माणकार्य संविदा सेवाएं प्राप्त की। प्राप्त सेवाओं का मूल्य ₹ 2.10 करोड़ था, जिस पर 40 प्रतिशत की कमी अनुमत करने के बाद देय सेवा कर ₹ 15.57 लाख था। इसमें से ₹ 7.78 लाख निर्धारिती और प्रत्येक सेवा प्रदाता द्वारा अदा किए जाने थे। सेवा प्रदाता द्वारा जारी किए गए बीजकों में न तो सेवा कर पंजीकरण संख्या विनिर्दिष्ट थी, न ही प्रभारित सेवा कर राशि का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने ₹ 7.78 लाख के प्रति केवल ₹ 3.33 लाख का सेवाकर ही अदा किया। इस प्रकार निर्धारिती ने ₹ 4.45 लाख तक कम सेवा कर अदा किया। कार्यान्वित निर्माणकार्यों पर कुल कम अदा किया गया सेवा कर ₹ 12.33 लाख है।

यद्यपि अप्रैल 2014 से मार्च 2015 की अवधि हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा की गई जो लेखापरीक्षा आपत्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के भाग को कवर किया, जिसमें सेरा द्वारा पाई गई चूक को इंगित नहीं किया।

जब हमने यह इंगित किया (अगस्त 2015) मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति (सितम्बर 2016) के राजस्व भाग को स्वीकार किया और कहा कि निर्धारिती ने ₹ 2.53 लाख के ब्याज सहित ₹ 4.26 लाख का सेवा कर जमा किया। सेवा

प्रदाता के मामले में कहा गया कि क्षेत्राधिकारी कार्यालय ने आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। आईएपी के विफलता के लिए मंत्रालय ने कहा कि आईएपी इस चूक को पता नहीं लगा सका क्योंकि निर्धारिती ने लेखापरीक्षा के समय पर प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईएपी ने अपनी रिपोर्ट में निर्धारिती द्वारा रिकॉर्ड प्रस्तुत न किये जाने को शामिल नहीं किया।

#### 5.5.1.9 जम्मू और कश्मीर में प्राप्त की गई सेवा पर सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 64(1) में बताया गया है कि सेवा कर के प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू होंगे। सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(ई) के अनुसार, सेवाकर वाली किसी सेवा वाली कोई छूट प्राप्त सेवा अधिनियम की धारा 66बी के अंतर्गत भुगतान योग्य है। इसके अतिरिक्त सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(1) के अनुसार, सेनवेट क्रेडिट छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान हेतु प्रयुक्त इनपुट/इनपुट सेवाओं की ऐसी मात्रा पर अनुमत नहीं होगा।

बैंगलोर एसटी-11 आयुक्तालय बैंगलोर में, मै. आनमोबाइल ग्लोबल लिमि. जम्मू और कश्मीर में दी गई सेवाओं के लिए जो कि छूट प्राप्त सेवा थी; सेवा कर हेतु को छोड़ कर संपूर्ण भारत के ग्राहकों से प्राप्त की सेवा आय पर सेवा कर अदा कर रहा था। निर्धारिती ने इन आऊटपुट सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रयुक्त सभी इनपुटस और इनपुट सेवाओं के सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया। यद्यपि निर्धारिती करयोग्य और छूट प्राप्त सेवाओं दोनों उपलब्ध करा रहा था। परन्तु करयोग्य सेवाओं और छूट प्राप्त सेवाओं के लिए प्रयुक्त इनपुटस और इनपुट सेवाओं के लिए न तो अलग से लेखे रखे गये और न ही छूट प्राप्त सेवाओं के लिए 2010-11 से 2011-12 की अवधि हेतु आनुपानिक सेनवेट क्रेडिट निर्धारिती ने वापस नहीं किया।

पूर्व सेवाकर आयुक्तालय, बैंगलोर के आईएपी इस गैर-भुगतान का पता नहीं लगा सकी जबकि सितम्बर 2011 तक की अवधि को कवर करते हुए इकाई की लेखापरीक्षा (अगस्त 2011 से नवम्बर 2011) की गई।

जब हमने यह इंगित किया (जून 2013), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा (नवम्बर 2016) कि निर्धारिती ने ब्याज और जुर्माने सहित ₹ 59.41 लाख की कुल राशि अदा की थी। आईएपी की विफलता के लिए मंत्रालय ने कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा नमूना दस्तावेजों की नमूना जांच के आधार पर की गई थी, न कि 100 प्रतिशत सत्यापन के आधार पर की गई थी। इसलिए चूक का पता नहीं लगाया जा सका।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह चूक जम्मू और कश्मीर राज्य में उपलब्ध कराई गई सेवाओं से संबंधित थी जिसके लिए सेवा कर लेखापरीक्षा मैनुअल 2011 में विशिष्ट चैक था।

#### 5.5.1.10 सेनवेट क्रेडिट की अधिक प्राप्ति

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4(7) के तीसरे नियम के अनुसार यदि किसी भुगतान या उसके किसी भाग को इनपुट सेवा के प्रति उपयोग किया गया है, का प्रतिदाय किया गया है या एक क्रेडिट नोट ऐसी इनपुट सेवा पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करने के बाद सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त किया गया है, तब उसे प्रतिदाय की गई या क्रेडिट की गई राशि के संबंध में प्राप्त सेनवेट क्रेडिट की राशि के समान भुगतान करना होगा। इस प्रकार क्रेडिट नोट के प्रतिदाय या प्राप्ति के मामले में; सेनवेट क्रेडिट के आनुपातिक राशि सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा वापस कर दी जाएगी।

2012-13 से 2014-15 की अवधि हेतु दिल्ली एसटी आयुक्तालय में मै. ट्रैकॉन कूरियर प्राइवेट लिमि. के सेनवेट क्रेडिट रिकार्ड की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने इनपुट सेवाओं की खरीद के बाद क्रेडिट नोट/बीजक द्वारा मासिक/वार्षिक आधार पर अपनी इनपुट सेवा प्रदाताओं से छूट प्राप्त की। यद्यपि निर्धारिती ने पूर्वोक्त नियम के अंतर्गत आवश्यक सेनवेट क्रेडिट की आनुपातिक वापसी नहीं की। इसके कारण ₹ 13.36 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित प्राप्ति हुई। उक्त ही ₹ 5.26 लाख के ब्याज सहित निर्धारिती द्वारा देय था।

इकाई की एलडीपी में कवर किए गए विव. 14 तक अवधि हेतु विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की गई (7 जून 2015) परन्तु इस चूक का उनके द्वारा पता नहीं लगाया जा सका।

जब हमने यह इंगित किया (अक्टूबर 2015), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति (सितम्बर 2016) के राजस्व भाग को स्वीकार किया और कहा कि निर्धारिती ने सितम्बर 2015 में आपत्ति की गई राशि जमा की थी। आईएपी की चूक के लिए मंत्रालय ने कहा कि यह मामला विभाग की नजर में था और दिनांक 17 नवम्बर 2008 ने बोर्ड के परिपत्र सं. 877/15/2008-सीएक्स के मद्देनजर जांच की गई थी। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इनपुट पर प्राप्त किया गया सेनवेट क्रेडिट से संबंधित मंत्रालय का उत्तर परिपत्र में दिया गया है जबकि लेखापरीक्षा आपत्ति इनपुट सेवाओं के सेनवेट क्रेडिट की अधिक प्राप्ति से संबंधित थी जो कि उपरोक्त बताये गए नियम के अनुसार वापसी योग्य था।

#### 5.5.1.11 इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) के बीजक पर सेवा कर के सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 9(2) के अनुसार उपनियम (1) के अंतर्गत कोई सेनवेट क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। जब तक कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 या सेवा कर नियमावली, 1994 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सभी विवरण जैसा भी मामला हो, उक्त दस्तावेज में शामिल होंगे।

अलवर आयुक्तालय में, मै. जैक्वार एंड कम्पनी प्रा. लिमि. यूनिट 1 और यूनिट II बीजकों के आधार पर 2013-14 और 2014-15 के दौरान ₹ 13.07 लाख का सेनवेट क्रेडिट अनियमित रूप से प्राप्त किया गया, जो कार्पोरेट कार्यालय गुडगांव के नाम से थे, जो आईएसडी के रूप में पहले से ही पंजीकृत थी। जब हमने यह इंगित किया (सितम्बर 2015) तब निर्धारितियों ने राशि डेबिट की थी।

यद्यपि हमारी एलडीपी में निर्दिष्ट अवधि को आंशिक रूप से कवर करते हुए मार्च 2014 (यूनिट-I) तक की गई आंतरिक लेखापरीक्षा में सेरा पार्टी द्वारा पता लगाई गई चूक को बताया नहीं गया था।

जब हमने यह इंगित किया (सितम्बर 2015) मंत्रालय ने सूचित किया (नवम्बर 2015) कि निर्धारिती पहले ही राशि अदा कर चुका है। आईएपी की विफलता के लिए मंत्रालय ने कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा के समय पर इआर 1 और इआर 6 रिटर्न सहित निर्धारिती द्वारा प्राप्त सेनवेट क्रेडिट से

संबंधित दस्तावेज आंतरिक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। इसलिए गलत लिए गए सेनवेट क्रेडिट का पता नहीं लगाया जा सका।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईएपी ने अपनी रिपोर्ट में निर्धारिती द्वारा रिकॉर्ड प्रस्तुत न किए जाने के मामले को शामिल नहीं किया था।

### **5.5.2 आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा यूनिट की कवरेज के लिए नियमों की अपर्याप्त अनुपालना**

सेवा कर लेखापरीक्षा मैनुअल 2011 के पैरा 5.1.2 में दर्शाया गया है कि किसी वर्ष में ₹ एक करोड़ से ₹ तीन करोड़ (नकद +सेनवेट) के सेवा कर अदा कर रहे सेवा प्रदाताओं की दो वर्षों में एक बार लेखापरीक्षा की जानी है। अग्रलिखित घटनाओं में हमने पाया कि जहां इकाई की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी; जो कि की जानी थी, इसके कारण निर्धारितियों द्वारा की गई चूक का पता नहीं लगाया सका जब तक कि हमने इसे इंगित नहीं किया।

#### **5.5.2.1 देरी से सुपुदुर्गी प्रभार और जमा को जब्त करने पर सेवाकर का गैर भुगतान**

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66(ई) के अनुसार जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है यह बताया गया है कि 'घोषित सेवा' में 'किसी कार्रवाई करने के दायित्व, या किसी घटना या स्थिति को झेलने के लिए या कोई कार्रवाई करने के लिए सहमत होना' शामिल है।

भोपाल आयुक्तालय में मै. सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद, 2012-13 से 2014-15 की अवधि हेतु उक्त अवधि के दौरान देरी के कारण सुपुदुर्गी प्रभार और जमा को जब्त करने के संबंध में औसतन ₹ 4.71 करोड़ की पावती का प्रकटन किया। यद्यपि निर्धारिती ने उक्त पर ₹ 58.25 के औसत सैस सहित सेवा कर अदा नहीं किया जो लागू ब्याज और जुर्माने सहित वसूली योग्य था।

यद्यपि नियमानुसार दो वर्ष में एक बार इकाई की आंतरिक लेखापरीक्षा की जानी है इसे विव. 13 से विव. 15 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा में कवर नहीं किया गया था।

जब हमने यह इंगित किया (अगस्त 2015) मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) और कहा कि विव. 13 से जून 2016 की अवधि को कवर करते हुए ₹ 80.71 लाख राशि का कारण बताओ नोटिस जारी किया। निर्धारिती की लेखापरीक्षा न करने के लिए मंत्रालय ने कहा कि निर्धारिती लेखापरीक्षा मैनुअल के अनुसार प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा की जाने वाले केवल दस प्रतिशत यूनिट वाली प्रासंगिक अवधि के दौरान श्रेणी डी के अंतर्गत आता है।

मंत्रालय का उत्तर उचित नहीं है क्योंकि विव. 14 और विव. 15 के दौरान निर्धारिती ने नकद रूप से ₹ एक करोड़ से अधिक अदा किए थे और जबकि यह श्रेणी बी यूनिट के अंतर्गत आता है जिसमें पचास प्रतिशत इकाईयों की लेखापरीक्षा मैनुअल के अनुसार प्रति वर्ष लेखापरीक्षा की जानी होती है।

#### 5.5.2.2 निर्माण कार्य ठेका सेवाओं के अंतर्गत सेवा कर का कम भुगतान

01 जुलाई 2012 से लागू दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना सं. 26/2012-एसटी आवासीय कंप्लैक्स सेवा के निर्माण के मामले में कुल मूल्य के 25 प्रतिशत पर सेवाकर के भुगतान को दर्शाती है बशर्ते कि भूमि के मूल्य में सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित राशि शामिल हो। शामिल माल में संपत्ति के हस्तांतरण पर अदा किया गया केवल वैट/विक्रय कर ही दिनांक 22 मई 2007 की अधिसूचना सं. 32/2007एसटी के पैरा3(1) के स्पष्टीकरण के अनुसार निर्माणकार्य ठेके के लिए प्रभारित निवल राशि को छोड़ा जा सकता है।

हैदराबाद-IV आयुक्तालय में मै. साईबरसीटी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लिमि. ने हाईटैक सिटी स्टेशन, हैदराबाद, के पास आवासीय कंप्लैक्स के निर्माण की जिम्मेदारी ली और निर्माण कार्य ठेका सेवा के अन्तर्गत 30 जून 2012 तक वाले समझौतों के प्रति प्राप्त राशि हेतु 4.944 प्रतिशत (40 प्रतिशत मूल्य पर) की दर पर और 01 जुलाई 2012 से लागू होने वाले समझौतों के प्रति प्राप्त की गई राशि के लिए 3.09 प्रतिशत (25 प्रतिशत मूल्य पर) की दर पर सेवा कर देयता प्रभारित की। यद्यपि, यह देखा गया था कि निर्धारिती ने भूमि की लागत (भूमि का बांटा न गया भाग) को छोड़ने के बाद राशि पर सेवाकर देयता प्रभारित की।

पूर्वोक्त नियमावली और अधिसूचनाओं के अनुसार अदा किए गए वैट/विक्रय कर को छोड़कर भूमि की लागत सहित फ्लैटों की बिक्री के प्रति प्राप्त सारी राशि कुल मूल्य के 25 प्रतिशत पर सेवा कर के भुगतान हेतु कर योग्य मूल्य के भाग का हिस्सा होगी। इस प्रकार, कुल राशि में भूमि लागत के न जोड़ने के कारण ₹ 54.48 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ, जो ब्याज सहित निर्धारिती से वसूली योग्य था।

यद्यपि, निर्धारिती एक वर्ष में एक बार लेखापरीक्षा होने वाली श्रेणी बी इकाई में था, इस की पिछली लेखापरीक्षा मार्च 2012 तक की गई थी जिसके कारण त्रुटि का पता नहीं लगाया जा सका जब तक कि सेरा द्वारा (फरवरी 2015) इंगित नहीं किया गया था।

जब हमने इसे इंगित किया (फरवरी 2015) मंत्रालय ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि आपत्ति स्वीकार की गई और एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, विभागीय चूक के लिए मंत्रालय ने कहा कि इकाई डीजी लेखापरीक्षा द्वारा जारी की गई इकाईयों की सूची में शामिल नहीं की गई थी इसलिए विव16 में लेखापरीक्षा हेतु इसका चयन नहीं किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि श्रेणी बी इकाई होने के बावजूद इस इकाई की विव13 से लेखापरीक्षा नहीं की गई है।

## 5.6 अन्य मामले

### 5.6.1 फोलोअप कार्रवाई में कमी

कालीकट आयुक्तालय में मै. अकबर ट्रेवल्स ऑफ इंडिया (प्रा.) लिमि. को एयर ट्रेवल एजेंट सर्विस के अंतर्गत करयोग्य मूल्य में एयर केरियर से प्राप्त किए गए उत्पादकता संबंधित बोनस (पीएलबी) और इंसेंटिव शामिल नहीं किये। 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान, निर्धारिती की कालीकट, कन्नुर और त्रिरूर शाखाओं ने मिलकर पीएलबी और इंसेंटिव के प्रति ₹ 1.92 करोड़ एकत्र किए। यद्यपि, सेवा कर देयता केवल ₹ 31.39 लाख राशि हेतु प्रभारित की गई थी। इस कारण ₹ 16.71 लाख के सेवा कर का कम भुगतान किया गया। 2008-09 से 2010-11 की अवधि हेतु निर्धारिती की त्रिरूर और इडप्पाल शाखाओं से संबंधित समान मामले डीएपी सं. 16ए/एसटी/2012-13

के रूप में परिवर्तित विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किया था और 2014 की एआर 6 के समेकित पैरा 2.1 (अनुलग्नक II) के अंतर्गत रखा गया था।

सेवाकर रेंज, कोझीकोड की लेखापरीक्षा के दौरान जब हमने यह इंगित किया कि (जुलाई 2013) आयुक्तालय ने आपत्ति (जुलाई 2014 और जनवरी 2016) स्वीकार की और कहा कि कालीकट, कन्नूर, त्रिपुर और इडप्पाल की उनकी चारों शाखाओं द्वारा प्राप्त की गई राशि से संबंधित पीएलबी और इंसेंटिव निर्धारणयोग्य मूल्य के भाग होने चाहिए। यह भी कहा गया कि अक्टूबर 2015 में निर्धारिती की सभी चारों शाखाओं को कुल ₹ 1.33 करोड़ के एससीएन जारी किए थे।

यद्यपि, समान मामले विभाग की जानकारी में पहले भी लाए गए थे, निर्धारिती की अन्य शाखाओं के प्रति उपचारात्मक कार्रवाई करने में विफलता से सीबीडसी की जानकारी में लाए गए मामलों के संबंध में कोई फोलोअप कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विभाग में प्रभावी तंत्र की कमी को उजागर किया। इसके परिणामस्वरूप 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 6 में किये गये जिक्र के संबंध में उक्त निर्धारितियों की शाखाओं द्वारा कर अपवंचन जारी रहा।

इसके अतिरिक्त एससीएन के अधिनिर्णयन की प्रगति और मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2016)।

#### 5.6.2 **आवधिक एससीएन को जारी न करना**

दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना सं. 30/2012-एसटी के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 68, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, अन्य विषयों के साथ-साथ यह दर्शाती है कि श्रमबल सेवाओं के संबंध में, सेवा कर देयता का 75 प्रतिशत सेवा के प्राप्तकर्ता द्वारा और सेवा प्रदाता द्वारा 25 प्रतिशत अदा किया जाएगा।

कोलकाता एसटी-1। आयुक्तालय (पूर्वोक्त हल्दिया आयुक्तालय के अंतर्गत) मै. सुप्रीम और कंपनी प्रा. लिमि. (युनिट-11) लोहे, इस्पात, एल्यूमीनीयम के सामान के उत्पादन से जुड़ी थी और ऐसी उत्पादन प्रक्रिया में विभिन्न इनपुट सेवाएं प्रयुक्त होती हैं। वित्तीय रिकॉर्ड के साथ-साथ एसटी-3 रिटर्न के सत्यापन से पता चला कि निर्धारिती ने वर्ष 2012-13 और 2013-14 के



दौरान अपनी फैक्ट्री में ठेका मजदूरी प्राप्त करने के लिए विभिन्न श्रम बल सेवा प्रदाताओं के लिए ₹ 3.86 करोड़ अदा किए। यद्यपि, निर्धारिती सेवा के प्राप्तकर्ता के रूप में सेवा कर देयता का 75 प्रतिशत देने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप 2012-13 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 35.81 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया जा सका, जो लागू ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने यह इंगित किया (सितम्बर 2014) मंत्रालय ने लेखा परीक्षा आपत्ति (दिसम्बर 2016) को स्वीकार किया और सूचित किया कि एससीएन प्रगति अधीन है। इसके अतिरिक्त आईएपी की विफलता के लिए मंत्रालय ने कहा कि आईएपी ने भी विव12 की अवधि हेतु समान मामले को उजागर किया था।

आईएपी द्वारा पहले ही उजागर किये गये मामले पर, मंत्रालय का उत्तर क्षेत्राधिकारी अधिकारियों की ओर से चूक की पुष्टि करता है, निर्धारिती द्वारा चूक जारी थी परन्तु विभाग द्वारा कोई आवधिक एससीएन जारी नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, सेरा पार्टी द्वारा दोबारा इसे उजागर किये जाने के बाद भी, एससीएन दो वर्षों से अधिक समय के बाद भी जारी नहीं किए गए थे।

### 5.6.3 प्रतिदाय आदेश के परिणामस्वरूप सेनवेट क्रेडिट का गैर-वापसी

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3 के अनुसार एक सेवा प्रदाता किसी इनपुट या इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए ड्यूटी या कर या सैस का क्रेडिट लेना अनुमत होगा। सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 5 निर्यातित माल के उत्पादन में प्रयुक्त इनपुट और इनपुट सेवाओं के सेनवेट क्रेडिट का प्रतिदाय या आऊटपुट सेवा जो सेवा कर के भुगतान के बिना जिसे निर्यात किया गया है, के प्रावधान को अनुमत करता है।

एलटीयू मुम्बई आयुक्तालय ने 2012-13 और 2013-14 की अवधि से संबंधित मै. सोनाटा इंफर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमि. के प्रतिदाय दावों की संस्वीकृति प्रदान करते हुए कुछ बीजकों में कमी के कारण ₹ 11.52 लाख का अमान्य क्रेडिट अनुमत नहीं किया (अप्रैल और जुलाई 2014)। निर्धारिती ने भी विभाग द्वारा उजागर की गई कमियों से सहमत रिकॉर्डों की लेखपरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि प्रतिदाय आदेशों की प्राप्ति पर न तो निर्धारिती ने उनके सेनवेट क्रेडिट में उक्त क्रेडिट वापस किया, न ही निर्धारिती द्वारा

सेनवेट क्रेडिट की वापसी सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने कोई कार्रवाई की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.52 लाख के सेनवेट क्रेडिट की वापसी नहीं हुई।

जब हमने यह इंगित किया (जुलाई 2015), मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2016) कि निर्धारिती ने ₹ 11.52 लाख के सेनवेट क्रेडिट की वापसी (अगस्त 2015) की परन्तु विभाग ने यह कहते हुए विफलता स्वीकार नहीं की कि विभाग द्वारा यह कमी पता लगाई गई थी और एक वर्ष के बाद सेनवेट क्रेडिट के डेबिट का कोई राजस्व महत्व नहीं था। यद्यपि, मंत्रालय ने वसूली में विलंब पर खेद व्यक्त किया।


मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तथ्यों को बताने की प्रतिक्रिया में विभाग ने कहा कि मामले पर सेरा आपत्ति की पावती के बाद निर्धारिती से अनुपालना प्राप्त की गई। यद्यपि कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विव13 से विव15 की अवधि हेतु विभाग द्वारा नहीं की गई थी यद्यपि इकाई की वार्षिक रूप से लेखापरीक्षा की जानी थी। इस प्रकार निर्धारिती द्वारा गैर वापसी पर भी ध्यान नहीं दिया जाता यदि सेरा द्वारा इसे उजागर नहीं किया जाता इससे विभाग द्वारा किए जा रहे प्रभावहीन फोलोअप का पता चलता है।

नई दिल्ली  
दिनांक: 24 जनवरी 2017

  
(हिमबिंदु मुडुंबे)  
प्रधान निदेशक (सेवा कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 24 जनवरी 2017

  
(शशि कान्त शर्मा)  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक